


संस्थान के चौपाटी क्षेत्र की दुकान सं.2
में स्नैक्स आउटलेट चलाने हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा सं.01/2019-20

सम्पदा कार्यालय
भा.प्रौ.सं. कानपुर
द्वारा जारी



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
संपदा कार्यालय
कक्ष संख्या 101 डी (संकाय भवन)
(दूरभाष: 0512-259-7166, 7327)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय (दूरभाष: 0512-259-7327)

कक्ष संख्या 101-D (संकाय भवन)

निविदा संख्या व दिनांक	01/2019-20 दिनांक 09.04.2019
कार्य / सेवा का नाम	स्नैक्स आउटलेट चलाने हेतु
कार्यस्थल	चौपाटी क्षेत्र की दुकान सं. 2
क्षेत्रफल	9.0 वर्ग मीटर
मासिक लाइसेन्स शुल्क	Rs.1782/-
बयाना राशि (ईएमडी)	Rs.10,000/-
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि और समय	24 अप्रैल 2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	101 डी, सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर – 208016
तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	तिथि व समय की सूचनाबाद में घोषित की जाएगी
वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	तिथि व समय की सूचनाबाद में घोषित की जाएगी
निविदा डाउनलोड करने का लिंक	www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender
निविदा खोलने का स्थान	101 डी, सम्पदा कार्यालय, भा. प्रौ.सं. कानपुर, कल्याणपुर, कानपुर – 208016

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

निविदा सूचना सं.01/2019-20

दिनांक: 09 अप्रैल 2019

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (एतदपश्चात 'संस्थान' के रूप में उल्लेख किया गया है) की स्थापना संसद द्वारा की गई है जिसे निगमित निकाय के रूप में समिलित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

पृष्ठ संख्या-2 के अनुसार संस्थान के पास एक आउटलेट/शॉप परिसर उपलब्ध है जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस के आधार पर अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान को संचालित करने के लिए देना चाहता है जिनके पास इस प्रकार का आउटलेट चलाने का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की संबन्धित जरूरतों की पूर्ति कर सके।

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित निविदा प्रपत्र को सम्पदा कार्यालय में पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए समय एवं दिन के अनुसार निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं।

1. निविदाएं पृष्ठ संख्या-2 में उल्लिखित समयानुसार संस्थान की निविदा समिति के समक्ष तथा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। बोलीदाता को प्रस्तुति के लिए निविदा समिति के समक्ष (अपनी कंपनी / फर्म की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु) साक्षात्कार देना होगा।
2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए दिनांक और समय के अनुसार खोली जाएंगी।
3. संस्थान विना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

-----ह-----

सहायक कुलसचिव व
प्रभारी अधिकारी, सम्पदा

प्रतिलिपि:

1. निदेशक
2. उपनिदेशक
3. अध्यक्ष, सीईएमएमसी
4. कुलसचिव
5. सूचना पट्ट
6. संस्थान की वैबसाइट

निविदाकर्ता के लिए दिशानिर्देश

सामान्यः

1. यह अनुबंध सफल बोलीदाता को उल्लिखित व्यवसाय, लाइसेंस के आधार पर आगे निर्दिष्ट नियम व शर्तों पर चलाने हेतु दिया जाएगा। अनुबंध की नियम व शर्ते परिशिष्ट-बी में समाहित हैं।
2. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है तो बोलीदाता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है तो एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, साझेदारी बाली फर्म के मामले में, सभी सहयोगियों से इस संबंध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड संकल्प द्वारा वैध प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कंपनी की तरफ से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर बोली देने का अधिकारी होगा।
4. यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं की गई है और प्राधिकरण रहित है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
5. बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए।
6. निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन को निविदाकार अपने जोखिम पर जमा करेंगे और इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
7. निविदाकार अनुलग्नक-1 के अनुसार अपना पूर्ण स्थायी और पत्राचार पता संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करे।
8. जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय में 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर प्रस्तुत करना होगा।
9. अनुलग्नक-2 में सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए जो कि जीएसटी व अन्य सरकारी करों सहित होनी चाहिए।

पात्रता मापदंडः

10. इस प्रकार के आउटलेट चलाने या कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए / कम से कम 1 वर्ष के लिए किसी भी प्रतिष्ठित आउटलेट में शेफ के रूप में अनुभव होना चाहिए / किसी प्रतिष्ठित आउटलेट्स में प्रबंधक के रूप में अनुभव होना चाहिए / होटल प्रबंधन और खानपान में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए।
11. बोली लगाने वाले को सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह का आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता अपने अनुभव/ क्षमता के पर्याप्त प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।
12. आउटलेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोलीदाता के पास कार्यशील पूँजी के मामले में अच्छी वित्तीय स्थिति होना चाहिए। बेहतर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति / फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
13. बोलीदाता के पास पैन नंबर और जीएसटी / जीएसटीआईएन नंबर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी, उसे, यदि संबंधित कानून आवश्यक है तो, आउटलेट के लिए एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना होगा ,
14. बोलीदाता के पास संबंधित विभागों के कानपुर कार्यालयों से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अपना कोड नंबर होना चाहिए।
15. जिस बोलीदाता के पास संस्थानपरिसर में पहले से ही एक अन्य प्रतिष्ठान / दुकान / आउटलेट/शॉप आदि है उस फर्म को वर्तमान आउटलेट के प्रदर्शन के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। जिस बोलीदाता के पास संस्थान परिसर में पहले से ही दो या दो से अधिक प्रतिष्ठान / दुकान / आउटलेट/शॉप आदि है, उस बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता का संस्थान के साथ पहले से ही किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी चल रही है तो उस बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित किया जाएगा। कर्मचारी व छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

बयाना राशि (ईएमडी)

16. प्रत्येक निविदा के साथ एक ईएमडी, जैसा कि पृष्ठ सं. 2 पर दिया गया है, जमा करना अनिवार्य है। उक्त ईएमडी एफडीआर / टीडीआर / डीडी के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक से 'Registrar, IIT Kanpur' के नाम देय हो होनी चाहिए। ईएमडी के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी राशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

17. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी, या इनकार करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त किया जा सकता है।
18. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त किया जा सकता है।
19. (क) बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। संबंधित बोलीदाता के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईएमडी राशि लौटा दिया जाएगा।
 (ख) ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।
 (ग) सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, परिशिष्ट-ब में दी गई शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा।

निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

20. बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली जमा की जाती है तो उसे सीधे पर निरस्त किया जा सकता है।
 - (क) आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नम्बर
 - (ख) पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट
 - (ग) फर्म/ कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
 - (घ) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर
 - (ङ) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर
 - (च) ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर
 - (छ) अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस (यदि कोई है)
 - (ज) बैंक सोल्वेनसी सर्टिफिकेट
 - (झ) FSSAI प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)। यदि टेंडर से सम्मानित किया जाता है तो निविदा प्रदान करने की तारीख से एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से एक नया एफएसएआई प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (अ) अनुलग्नक -1 में बोली जमा करने वाली फर्म का विवरण (पार्ट1 & पार्ट-2)
 - (ट) दुकानों की संख्या एवं उनका विस्तृत विवरण
 - (ठ) अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ / हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र
 - (ड) फर्म / व्यक्ति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की विवरण / सूची
 - (ढ) निविदा जमा करने वाली फर्म की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार-पत्र/संकल्प पत्र
 - (ण) बयाना राशि जैसा की पृष्ठ सं.2 पर उल्लिखित है।
 - (त) आवेदक के पते का प्रमाणपत्र की प्रति
 - (थ) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक / व्यक्ति के 'आधार' की छायाप्रति
 - (द) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

21. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी : (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली

- (i) **तकनीकी बोली:** तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुबंध-1 शामिल है। इसके साथ-साथ, विंदु-18 में दिये गए दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाय। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "तकनीकी बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।
- (ii) **वित्तीय बोली:** वित्तीय बोली, अनुलग्नक-2 में निर्धारित कीमतें हैं। वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "वित्तीय बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को एक अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाय। उसके बाद सम्पदा कार्यालय कमरा सं. 101-डी (संकाय भवन), भा.प्रौ.सं. कानपुर में रखे गए निविदा पेटी में, पृष्ठ सं. 2 पर किए गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार डाला जा सकता है।

एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले निविदादाता की बोली को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

22. पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उस निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में हुई देरी) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
23. निविदा खुलने के पश्चात निविदा 30 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 30 दिन की अवधि की स्वीकृति हेतु निविदा को खुला रखा जाएगा। इस प्रकार 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अवधि के पश्चात लाइसेंसधारक को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो निविदाकर्ता को इसे अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

निविदाओं का खुलना:

24. सबसे पहले पृष्ठ सं. 2 पर दिये गए दिन एवं समय के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधियों और संस्थान की निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएँगीं। बोली लगाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुतिकरण / साक्षात्कार हेतु (अपनी कंपनी / फर्म की कार्य-प्रणाली से संबंधित सवालों के संतुष्ट जवाब देने के लिए) समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इसके पश्चात केवल तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी निविदाओं की वित्तीय बोली पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तारीख और समय के अनुसार खोली जाएँगीं।
25. जिस भी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है वह निविदा मिलने के 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संबंधित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान अपने विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द कर सकता है।

निविदा मूल्यांकन के मानदंड

26. पिछले प्रदर्शन या ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वालों को 0.8 से 1.2 की सीमा में मूल्य समायोजन फैक्टर दिया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएँगी। अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जो न्यूनतम योग (मूल्य समायोजन फैक्टर X बोली में वेटेड कीमतों का योग) होगा।

निविदा की स्वीकृति / अस्वीकृति

27. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप में अधूरी हैं को निरस्त माना जाएगा।
28. बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____

निविदाकर्ता का नाम _____

पूरा पता _____

टेलीफोन / मो. नं. _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें

अनुबंध का दायरा

- इस अनुबंध में पेय पदार्थ, मिठाईयां, लंच, भोजनसूची में उल्लिखित समस्त खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त स्वैक्षण तैयार करने के लिए अपेक्षित समस्त कञ्च माल की जरूरी व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अनुबंध में खाद्य पदार्थों को तैयार एवं उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामग्री एवं उपकरणों के साथ-साथ ग्राहकों को तैयार खाद्य सामग्री परोसने की व्यवस्था भी शामिल है। इस अनुबंध में परिवहन, सामग्री की लागत एवं आउटलेट/शॉप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन भी शामिल है। लाइसेंसधारक को सामग्री के सुरक्षित भण्डारण एवं अपने कर्मचारियों के रहने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

परिभाषा

- इस अनुबंध में निविदाकर्ता के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं का अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।
 - “सी.ई.एम.एम.सी.” से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित ‘व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति’ से है।
 - “कांट्रैक्टर” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।
 - “निदेशक” से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है।
 - “संस्थान” से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि होगा।
 - “प्रभारी अधिकारी (संपदा)” से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगे।
 - “वार्डेन” से तात्पर्य संबन्धित छात्रावास के वार्डेन-इंचार्ज तथा अन्य वार्डेन से है।

अनुबंध संबंधी दस्तावेज़

- परिशिष्ट -A अर्थात् बोलीदाता हेतु दिशा-निर्देश, परिशिष्ट-B अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें, आवेदन एवं घोषणा अनुलग्नक-1 (भाग-I & II), अनुलग्नक-2 में भरे गए मूल्य और मात्र अनुसूची, संस्थान द्वारा सफल निविदाकार को निविदा दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव पत्र इस अनुबंध-पत्र का अभिन्न हिस्सा होगा।

अनुबंध की अवधि

- संविदा की अवधि शुरुआत में, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, एक साल के लिए होगी। पहले तीन महीनों परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध दो साल तक बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

- लाइसेंसधारक को हर महीने की प्रत्येक 7 तारीख को नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क, पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट, का भुगतान करना होगा। हालांकि संस्थान के निर्णयनुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफाई शुल्क का भुगतान संस्थान में मौजूदा दर के अनुसार अलग से करना होगा (वर्तमान सफाई शुल्क दर रूपए 250/- है)। जीएसटी और अन्य सरकारी करों का भुगतान अतिरिक्त करना होगा।
- यदि उपरोक्त अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर विलंब शुल्क के रूप में 100 प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा।
- लाइसेंसधारक को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली विल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा

आउटलेट/शॉप में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि विजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन / संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से विजली बिल का भुगतान करना होगा।

8. हालांकि यदि लाइसेंसधारक समय पर विद्युत बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे वास्तविक देय (बिल) के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत बिलबंद शुल्क के रूप में देना होगा।
9. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि लगातार तीन माह तक विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक की संबन्धित दुकान का विद्युत सप्लाई काट दिया जाएगा।
10. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
11. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अनुबंधित (जिस वस्तु को बेचने की अनुमति दी गई है, उनके अलावा किसी अन्य वस्तु को बेचना भी शामिल है) अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारक परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

अभिहस्तांतरण और उपकिराएदारी

12. संस्थान की लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक आवंटित परिसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ इसके अंतर्गत हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के कार्यों, गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।
13. यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर आउटलेट/शॉप को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा / अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया हो तो अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटित परिसर को संस्थान अपने कब्जे में ले लेगा।
14. आउटलेट/शॉप का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।
15. लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि आउटलेट/शॉप में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सूचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आउटलेट/शॉप का कारोबार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा।
16. आमतौर पर लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को आउटलेट/शॉप में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन महीने से अधिक समय तक आउटलेट/शॉप आने की स्थिति में नहीं है तो इस संबंध में संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदंड भी शामिल हो सकता है।

आउटलेट/शॉप का समय, मेन्यू, मूल्य, सुविधाएं एवं सेवाएं इत्यादि

17. आउटलेट/शॉप का समय अपराह्न 2.00 बजे से रात्रि 2.00 बजे तक होगा। इस समयावधि के पश्चात आउटलेट/शॉप का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की, छात्रावास के मामले में वार्डेन के माध्यम से, पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
18. आउटलेट/शॉप समाह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के बगैर किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा।
19. अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुएं आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। हालांकि संस्थान स्वप्रेरणा से (छात्रावास की दशा में वार्डेन इंचार्ज के माध्यम से छात्रावास कार्यकारी समिति की सिफारिश पर) मेन्यू/अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई खाद्य सामग्रियों की सूची में जोड़ / घटाव कर सकता है। इस संबंध में समस्त आदेश संपदा कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

20. उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। खाद्य वस्तुओं की बाजार दर एवं आउटलेट/शॉप कर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसधारक एवं वार्डेन इंचार्ज के साथ परामर्श करके मूल्य सूचकांक, जैसा कि <http://www.mospi.gov.in/#> उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए दर्शाया गया, में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर खाद्य वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूचकांक तृतीय पक्ष के वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। हालांकि, कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन एक रूपये के गुणांक में होंगे।
 21. छात्रावास आउटलेट/शॉप के संबंध में, समस्त आवश्यक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संस्थान की तरफ से संबंधित छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
 22. भीम / यूपीआई, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इत्यादि द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
 23. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। लाइसेंसधारक द्वारा खाद्य पदार्थों की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा।
 24. सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान आउटलेट/शॉप उपलब्ध होने चाहिए।
 25. खाद्य सामग्रियों एवं उनकी दरों से संबंधित सूची को पठनीय फॉन्ट में आउटलेट/शॉप के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री एवं दर से संबंधित मुद्रित प्रपत्र मेज पर भी उपलब्ध होने चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
 26. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विघ्न सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
 27. लाइसेंसधारक द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए लाइसेंसधारक स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।
 28. निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं हर समय आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। व्यंजन सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित खाद्य पदार्थ की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 29. नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारक को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त आउटलेट/शॉप के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारक को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।
- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व अन्य करों की देयता**
30. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर संबंधित विभाग को जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा।
 31. इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा लेखा उद्देश्यों हेतु जीएसटीआईएन सहित कर चालान रसीद जारी किया जाएगा।
 32. लाइसेंसधारक को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों, वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।

33. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़-पौधों, झाड़ियों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
34. लाइसेंसधारक संस्थान के संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर आउटलेट/शॉप में न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल (तोड़-फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुँचाएगा और न ही आउटलेट/शॉप के अन्दर अनधिकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

गुणवत्ता एवं स्वच्छता और साफ-सफाई

35. लाइसेंसधारक खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, ठंडे पेय जल की सतत आपूर्ति एवं ताजी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को बरकरार रखेगा। आउटलेट/शॉप में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
36. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप में, गोदाम में तथा खाद्य वस्तुओं को तैयार व परोसते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर, बर्तन, क्राकरी इत्यादि को भी साफ-सुथरा रखेगा ताकि आउटलेट/शॉप के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। लाइसेंसधारक को खाद्य पदार्थों सहित सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
37. आउटलेट/शॉप परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आउटलेट/शॉप परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
38. कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानिकारक कीड़े-मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था नियमित अन्तराल में की जानी चाहिए।
39. पुराने बासी तथा इक्स्प्रेस खाद्य पदार्थों को आउटलेट/शॉप के अन्दर रखने की अनुमति नहीं होगी।
40. प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज के बैग / प्लेट्स / कप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

41. लाइसेंसधारक को अनुबंध व सम्पदा कार्यालय के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा। सीईएमएमसी निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
 - (क) वृद्धि / विलोप अथवा विकल्प सहित व्यंजन सूची की दरों में कसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन।
 - (ख) लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई सामान हटाना एवं उस सामान के बदले अन्य सामान लाना।
 - (ग) इसके पश्चात प्रदान किए गए प्रावधान के संदर्भ में उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के काम से हटाना।
 - (घ) कट्टी सामग्री, अन्य उपकरणों एवं बर्तनों का निरीक्षण।
 - (ङ) उचित सफसफाई, शुद्धता एवं स्वास्थ्यकर संबंधी वातावरण का रखरखाव।

खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाला इंधन

42. खाना बनाने के लिए लाइसेंसधारक केवल पीएनजी / इंडक्शन का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के इंधन की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार लाइसेंसधारक केंद्रीय यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) से कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेन्डर के प्रयोग की अनुमति केवल तभी होगी जब पीएनजी आपूर्ति में खराबी अथवा अन्य कारण से बाधा उत्पन्न हो रही हो।

कर्मियों की नियुक्ति

43. आउटलेट/शॉप संचालित करने के लिए लाइसेंसधारक केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील, व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।
44. आउटलेट/शॉप में कर्मियों को नियुक्त करने से पूर्व लाइसेंसधारक को संपदा कार्यालय से उनकी तैनाती से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस कार्य के लिए लाइसेंसधारक को प्रदत्त प्रपत्र में संबंधित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
45. लाइसेंसधारक बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा।

46. रात्रि 8 से सुबह 6 बजे के मध्य महिला कर्मियों को आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
47. आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आउटलेट/शॉप-कर्मी को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
48. कार्य अवधि के दौरान आउटलेट/शॉप के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को लाइसेंसधारक स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य-अवधि के दौरान कर्मी साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।
49. कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन करने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारक की ही होगी।
50. लाइसेंसधारक आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मी को आउटलेट/शॉप से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
51. लाइसेंसधारक अपने कर्मी को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, छटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सकोकार नहीं रहेगा।
52. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों से संबंधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारक को भुगतान करना होगा।
53. यदि लाइसेंसधारक के किसी कर्मी की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारक को करनी होगी।

सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

54. यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारक पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन सभी नियम एवं कानूनों को अक्षरण: अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवजा एवं जीएसटी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।
55. लाइसेंसी पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।
56. लाइसेंसधारक को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप-तौल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। ठेका मिलने पर लाइसेंसधारकों एक सप्ताह के अन्दर FSSAI लाइसेंस के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं परिवीक्षा काल की समाप्ति से पूर्व लाइसेंस हासिल करना होगा। उल्लिखित लाइसेंस की एक प्रति संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
57. लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षति की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर लाइसेंसधारक की गलती अथवा अन्य सांविधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षति में वेतन के रूप में कर्मियों की देयताएं, न्यायालय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारक की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारकों संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिखित राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से कर ली जाएगी।
58. संस्थान: सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/ न्यायालयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारक की विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की

देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारक से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।

59. सी ई एम एम सी के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारकद्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
60. लाइसेंसधारक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा।

जमा प्रतिभूति

61. लाइसेंसधारको FDR के माध्यम से रु.50,000/- (पचास हजार रूपये) की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो की 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक / भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त FDR की वैद्यता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 03 महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए।
62. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारको इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।
63. यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद(दों) के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को (जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा) निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगा: अनुबंध को रद्द करना (जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारको दी जाएगी)। ऐसे मामले में लाइसेंसधारकद्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करने के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
64. यदि लाइसेंसधारकद्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारकद्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

शिकायत तंत्र

65. लाइसेंसधारक को आउटलेट/शॉप के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डेन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
66. लाइसेंसधारकद्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
67. लाइसेंसधारको स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी ई एम एम सी की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 तथा तीसरी बार 5000 रूपये की राशि का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
68. इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारको और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुबंध की समाप्ति

69. कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।
70. अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हरएक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

71. यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारकको अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 07 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपना होगा । यदि लाइसेंसधारकउल्लिखित अवधि के अन्दर परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।
72. इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी । उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारकसे संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारकउल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिसय नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारकके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

73. मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेंगे । हालांकि यदि लाइसेंसधारकचाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।
74. अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा-निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारकको प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

अधिकार क्षेत्र

75. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल कानपुर नगर जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

भाग-1

निविदाकर्ता का नाम _____

पिता का नाम _____

निविदाकर्ता का पता _____

टेलीफ़ोन / मोबाइल नंबर _____

आधार नंबर (व्यक्ति की दशा में) _____

निविदाकर्ता अपनी
पासपोर्ट आकार की
फोटो यहाँ चिपकाएं

वयाना राशि का विवरण _____

(क) धनराशि _____

(ख) एफडीआर/टीडीआर/डीडी नंबर _____

(ग) दिनांक _____

(घ) बैंक और उसकी शाखा _____

जीएसटी नंबर _____

पैन नंबर _____

ईपीएफ कोड नंबर (यदि हो) _____

ईएसआई कोड नंबर (यदि हो) _____

कार्य अनुभव (वर्ष में) _____

गारंटर के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम और पता

नाम _____

नाम _____

आधार नंबर _____

आधार नंबर _____

पता _____

पता _____

घोषणा:

मैं ऐतद घोषणा करता हूँ-

- यदि उक्त परिसर में कोई नुकसान हो तो मैं सभी खर्चों का वहन करूँगा।
- कि जब भी कोई नोटिस कैंटिन परिसर को खाली करने का दिया जाता है तो मैं उक्त परिसर को तत्काल खाली कर संस्थान को सौंप दूँगा।
- कि मैं इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को मनाने के लिए वाध्य हूँ।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग-2

निविदाकर्ता द्वारा भरा जाएगा

यदि निविदाकर्ता एक फर्म है।	यदि निविदाकर्ता एक व्यक्ति है।		
आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____	आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____		
पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं _____	पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं _____		
जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____		
फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____	फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____		
कर्मचारियों की संख्या _____	कर्मचारियों की संख्या _____		
ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____	ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____		
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____	ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____		
अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____	अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____		
क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____	क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____		
सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थान के नाम जहाँ आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।	सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थान के नाम जहाँ आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।		
संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष	संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेंस, यदि कोई हो।	अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेंस, यदि कोई हो।		
फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में , प्राधिकरण पत्र संलग्न करें : हाँ / नहीं _____	फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में , प्राधिकरण पत्र संलग्न करें : हाँ / नहीं _____		
एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या: _____ जारीकर्ता बैंक का नाम: _____ जारी करने की तारीख: _____	एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या: _____ जारीकर्ता बैंक का नाम: _____ जारी करने की तारीख: _____		
	आधार संख्या: _____ दस्तावेज संलग्न: हाँ / नहीं _____		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(वित्तीय बोली)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर**सम्पदा कार्यालय**

संस्थान के चौपाटी क्षेत्र की दुकान सं.2 रनौकस आउटलेट में बेची जाने वाली आइटम की कीमत सूची
(बोलीदाताओं द्वारा निम्नलिखित उद्धृत कीमतों में जीएसटी शामिल होना चाहिए)

Sl#	Name of items	Unit	Quoted Rate In		Calculated Price (To be filled by the Tender Committee)
			Weight Factor	Rate (Rs.)	
ITEMS					
1	Pani Puri	8 pieces	5		
2	Chaat	80 gm	4		
3	Dahi Papdi	6 pieces	3		
4	Bhel Puri	80 gm	4		
5	Aloo Tikki	60gm(1 piece)	4		
6	Channa Masala	120 gm	5		
7	Sweet Corn	70gm	5		
8	Pav Bhaji	250gm(2 pav)	5		
9	Chole Bature	120gm+50gm(1 batura)	5		
10	Pakode	60gm(1 piece)	5		
11	Samosa	80 gm (1 piece)	5		
12	Kachori/ Kachori Chaat	80 gm	4		
13	Vada Pav	150 gm(1 piece)	3		
14	Cutlets	240gm(2 pieces)	3		
15	Nachos	100 gm	3		
16	Burger	225 gm(1 piece)	4		
17	Lassi	250 ml	4		
18	Sev Puri	6 pieces	4		
19	Pasta	150 gm	4		
20	Pizza	125gm(1 slice)	5		
21	Patties	60 gm(1 piece)	4		
22	Pastry	80gm(1 piece)	4		
23	Lasagne	350gm	4		
24	Sandwiches	160(2 pieces)	5		
25	Chole Kulche	120gm+80gm(1 kulcha)	2		
26	Hot Dog	80gm(1 piece)	2		
27	Paneer Tikka	200gm	4		
28	Honey Chilli Potato	220gm	4		
29	Dhokla	250gm(4 pieces)	2		
30	Maggi	150gm	3		
31	Poha	130gm	4		
32	Momos	100gm(2 piece)	3		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____

निविदाकर्ता का नाम _____